



सत् यजित रे फिल् म एवं टेलीविजन संस् थान
Satyajit Ray Film & Television Institute
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक शैक्षणिक संस् थान
An Academic Institute under the Ministry of I & B, Government of India

संख् या : 71035/03/2020-Admn.

दिनांक: 31.07.2020

कार्यालय आदेश

गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोवडि -19 महामारी के रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों पर आदेश संख् या : 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक: 29.07.2020 को अनुपालन हेतु सत् यजित रे फिल् म एवं टेलीविजन संस् थान में नियमित शैक्षणिक गतिविधियाँ (ऑनलाइन कक्षाओं को छोड़कर) 31.08.2020 तक निलंबित रहेंगी।

यह निदेशक (प्रभारी) महोदय के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

(डॉ. सुश्रुत शर्मा)
कुल सचिव

No. 71053/03/2020-Admn.

Date: 31.08.2020

Office Order

In view of the orders along with guidelines issued by the Ministry of Home Affairs vide order No.40-3/2020-DM-I(A) dated 29.07.2020 on the measures to be taken for containment of COVID-19 Epidemic in the Country, Regular academic activities (except online classes) in SRFTI, Kolkata shall continue to remain suspended till 31.08.2020.

This issues with the approval of the Director.

S/d
(Dr. Sushrut Sharma)
Registrar